न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 06/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/7

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री प्रहलाद राठौड पुत्र श्री विठला राठौड निवासी 128,वार्ड नं. 07 राठौड पाडाय, दुकवाडा तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमती लीला देवी बुनकर पत्नी श्री प्रहलाद राठौड निवासी 128,वार्ड नं. 07 राठौड पाडाय, दुकवाडा तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (सहऋर्णी)
3. श्री रमण लाल मीणा पुत्र श्री नाथु मीणा निवासी 126, टामटिया, चिरोला, गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 31.03.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री प्रहलाद राठौड पुत्र श्री विठला राठौड निवासी 128,वार्ड नं. 07 राठौड पाडाय, दुकवाडा तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककता) 2– श्रीमती लीला देवी बुनकर पत्नी श्री प्रहलाद राठौड निवासी 128,वार्ड नं. 07 राठोड पाडाय, दुकवाडा तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (सहऋणी) 3– श्री रमण लाल मीणा पुत्र श्री नाथु मीणा निवासी 126, टामटिया, चिरोला, गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (जमानती) को दिनांक 30.03.2017 को राशि रुपया 5,00,000 (अक्षरे पांच लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.10.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02–03–2021 तक कुल बकाया ऋण राशि [illegible],95,[illegible] रू. (चार लाख पंचानबे हजार पांच सौ रूपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पांस रहन की जिसका विवरण श्री प्रहलाद राठौड पुत्र श्री विठला राठौड जाति भील की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 20, दिनांक 05.12.2003, आबादी सर्वे संख्या 1854, ग्राम टुकवाडा, ग्राम पंचायत गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 600 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में स्वयं की भूमि, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में विक्रेता स्वयं की भूमि, दक्षिण में क्रेता स्वयं की भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 17–03–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बावजुद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे है। अतः दिनांक 31.03.2022 को अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान [illegible] आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही [illegible] है तो समस्त [illegible]यित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:54 IST
Reason: SelfAttested